न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 106 / 2021

1 रामकुमारी पत्नी हरफूल सिंह उम्र 66 वर्ष जाति जाट निवासी ढाका का बास तन भगेरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू(राजस्थान)।

अपीलांट

बनाम

1 सुलोचना पत्नी रणवीर सिंह महला उम्र 40 वर्ष जाति जाट निवासी ग्राम माण्डासी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।
2 राजस्थान सरकार जरिये भूमि अधिकारी तहसीलदार, नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 15.02.2021
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़
प्रकरण अन्तर्गत धारा 251 ए
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थिति :

1. श्री राजेन्द्र प्रसाद आर्य, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री रविराज सैनी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

दिनांकः— 10.01.2022

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 10/2020 में पारित निर्णय दिनांक 15.02.2021 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थीया सुलोचना देवी ने अपनी भूमि खसरा नम्बर 380/2 रकबा 0.5700 हैक्टर स्थित सरहद ग्राम जयसिंहपुरा में जाने के लिए अपीलान्ट की भूमि खसरा नम्बर 21 के अन्दर से पूरी सीमा के सहारे–सहारे संलग्न नजरी नक्शे में दिखाये अनुसार ए से बी बिन्दु के मध्यम 15 फीट चौड़ा रास्ते की मांग की। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय दिनांक 15.02.2021 से प्रार्थी का आवेदन स्वीकार कर लिया। इससे से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील दिनांक 16.11.2021 को धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने अपीलांट के नाम जारी तामील 06.08.2020 की है जबकि 19.01.2021 को अपीलांट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है। विचारण न्यायालय की यह कार्यवाही विधि विरूद्ध है क्योंकि तत्समय कोरोना के कारण पक्षकार एवं वकीलों का न्यायालय में उपस्थित होना वांछनीय नहीं था। विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अपीलांट की अनुपस्थिति में तैयार की गई है। मौका रिपोर्ट में वैकल्पिक रास्ते के संदर्भ में कोई अंकन नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रिया की पालना किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 एवं अपील को स्वीकार किया जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आर आर टी 2018 (1) पेज नम्बर 574 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि प्रस्तुत अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है। अतः सर्वप्रथम धारा 5 पर निर्णय किया जाना उचित होगा। विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि प्रार्थना पत्र में कोरोना महामारी का वर्णन करते हुए मियाद के लाभ लेने का वर्णन किया है जबकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मियाद अधिनियम के संदर्भ में विस्तृत गाईडलाइन पारित कर रखी है। उस गाईडलाइन के तहत उक्त प्रार्थना पत्र नहीं होने से खारिज होने योग्य है तथा अपील पेश करने के रोज किसी प्रकार की मियाद अधिनियम के अधीन छूट प्रदत्त किये जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। उक्त प्रार्थना पत्र में प्रार्थिया ने कही भी अंकन नहीं किया कि प्रार्थिया को विचारण न्यायालय के आदेश की जानकारी कब हुई और उस जानकारी से किस प्रकार अपील अंदर मियाद मानी जावे ओर ऐसे कौनसे कानूनी बिन्दू की अवहेलना विचारण न्यायालय के द्वारा अपने निर्णय में की गयी जिसके बाबत अपील किया जाना आवश्यक हुआ। प्रार्थना पत्र में महज कोरोना महामारी का वर्णन कर दिया जबकि न्यायालय सुचारू रूप से पूर्ण क्षमता से कार्य कर रहे है। प्रार्थिया ने प्रार्थना पत्र में एक्स पार्टी भी गलत रूप से किये जाने का उल्लेख किया है। जबकि विचारण न्यायालय के द्वारा प्रार्थिया को समय पर विधि अनुकूल तरीके से नोटिस प्रेषित किया गया। उक्त नोटिस प्रार्थिया के पति पर तामील हुआ है। इस प्रकार से प्रार्थिया के उसके विरूद्ध न्यायालय में प्रस्तुत कार्यवाही की पूर्ण एवं पर्याप्त जानकारी सदैव से रही है। अतः अपील अपीलांट मियाद के बिन्दु पर खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है। अतः सर्वप्रथम धारा 5 पर निर्णय किया जाना उचित होगा। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट ने प्रार्थना पत्र में कोरोना महामारी का वर्णन करते हुए मियाद के लाभ लेने का वर्णन किया है जबकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मियाद अधिनियम के संदर्भ में विस्तृत गाईडलाइन पारित कर रखी है। उस गाईडलाइन के

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

तहत उक्त प्रार्थना पत्र नहीं होने से खारिज होने योग्य है तथा अपील पेश करने के रोज किसी प्रकार की मियाद अधिनियम के अधीन छूट प्रदत्त किये जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। उक्त प्रार्थना पत्र में प्रार्थिया ने कही भी अंकन नहीं किया कि प्रार्थिया को विचारण न्यायालय के आदेश की जानकारी कब हुई और उस जानकारी से किस प्रकार अपील अंदर मियाद मानी जावे। प्रार्थना पत्र में महज कोरोना महामारी का वर्णन कर दिया जबकि न्यायालय सुचारू रूप से पूर्ण क्षमता से कार्य कर रहे है। प्रार्थिया ने प्रार्थना पत्र में एक्स पार्टी भी गलत रूप से किये जाने का उल्लेख किया है। जबकि विचारण न्यायालय के द्वारा प्रार्थिया को समय पर विधि अनुकूल तरीके से नोटिस प्रेषित किया गया। उक्त नोटिस प्रार्थिया के पति पर तामील हुआ है। इस प्रकार से प्रार्थिया को उसके विरूद्ध विचारण न्यायालय में हुई कार्यवाही की पूर्ण एवं पर्याप्त जानकारी सदैव से रही है। अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी का दिन प्रतिदिन का संतोषजनक एवं युक्तिसंगत कारण अंकित नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट धारा 5 का लाभ प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट मियाद के बिन्दू पर खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 10.01.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर